संख्या–1074/12–3–2017–100(61)/12टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2017

विषय– कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) तथा अन्य भुगतानों हेतु प्रक्रिया व दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक–एस.एफ./1295टी./डी0बी0टी0/2017–18, दिनांक 17.10.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) तथा अन्य भुगतानों हेतु शासनादेश संख्या–543/12–3–2017–100(61)/2012टी.सी., दिनांक 26.05.2017 के बिन्दु संख्या–5.1 के प्रस्तर संख्या–5.1.1, 5.1.3 तथा बिन्दु संख्या–5.5 के प्रस्तर संख्या–5.5.1, 5.5.4, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8, 5.5.11 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित प्रक्रिया व दिशा–निर्देश निर्धारित किया जाता हैः–

5.1 प्रमाणित बीज के सामान्य वितरण हेतुः–

5.1.1 विभिन्न फसलो के प्रमाणित बीज, सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओ यथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, यू0पी0एग्रो, उ0प्र0 बीज विकास निगम, इफ्को , कृभको, राष्ट्रीय बीज निगम इत्यादि जिन्हे शासन द्वारा अधिकृत किया गया हो, के बीज विक्रय केन्द्रो के माध्यम से कृषको को पूरे मूल्य पर उपलब्ध कराये जायेगे एवं अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे किसान के बैक खाते में भेजी जायेगी। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं यू0पी0एग्रो अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था अपने बीज विक्रय केन्द्रों से करेगें। उ0प्र0 बीज विकास निगम अपने बीज विकय केन्द्रों, एग्री–जंक्शन एवं एफ.पी.ओ. के माध्यम से और राष्ट्रीय बीज निगम, इफको एवं कृभको अपने बीज के विकय केन्द्रों से अनुदानित बीजों की बिक्री एवं वितरण का कार्य डी0बी0टी0 प्रकिया का पालन सुनिश्चित कराते हुए कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक करेंगें।

निजी विकताओं के माध्यम से अनुदानित बीज की ब्रिकी एवं वितरण का कार्य नहीं किया जायेगा।

5.1.3 व्यवहारिक रूप से कृषक दो वर्षों तक प्रमाणित बीजों का उपयोग कर सकता है। अतः जिन कृषको को किसी फसली मौसम विशेष में प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है, उन्हे उस फसली मौसम सहित दो वर्ष पश्चात् अर्थात् उसके अगले वर्ष (Alternate Year) के उपरान्त ही उस फसल विशेष पर पुनः अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषको को वर्षानुवर्ष सरकार की योजनाओ का लाभ प्राप्त होगा तथा प्रदेश में उत्पादकता एवं उत्पादन में भी वृद्धि होगी। जिन कृषकों को 2015–16 रबी में अनुदानित बीज दिया गया है, उन्हें वर्तमान रबी (2017–18) में अनुदानित बीज देय हो जाएगा। 2016–17 रबी में अनुदानित बीज का लाभ प्राप्त कर चुके कृषकों को यह लाभ 2018–19 रबी में ही मिल सकेगा।

5.5 कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण एंव बखारी के वितरण हेतु –

5.5.1 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किसान द्वारा पंजीकरण से पूर्व समूह का गठन करना आवश्यक होगा और उस समूह का नाम ऑनलाइन पंजीकरण के समय उल्लिखित करना होगा। पंजीकरण से पूर्व यदि समूह गठित नहीं है तो उन्हें वरीयता कम में लाभ हेतु चयन नहीं किया जाएगा। यदि कस्टम हायरिंग सेन्टर समूह के द्वारा स्थापित किया जा रहा है तो ऐसे समूह का गठन भी पंजीकरण के पूर्व आवश्यक होगा। चयन के उपरान्त समूह का पंजीकरण उप कृषि निदेशक आत्मा योजना में करेंगे तथा समूह पंजीकरण का प्रमाण–पत्र समूह को जारी करने के साथ ही बैक को भी खाता खोलने के लिए उपलब्ध करायेगें।

5.5.4 कृषि यंत्र हेतु जिन चयनित पंजीकृत कृषकों को जिस शक्ति चालित कृषि यंत्र को एक बार अनुदान पर दे दिया जायेगा उस यंत्र हेतु पुनः किसी भी योजना में आगामी दस वर्ष तक न तो अनुदान हेतु चयन किया जायेगा और न ही उस यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। मानव चालित कृषि यंत्रों तथा वाटर कैरिंग पाइप पर तीन वर्ष तक का प्रतिबन्ध लागू होगा। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषकों को वर्षानुवर्ष सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तथा यंत्रीकरण के विस्तार के द्वारा किसानों की आय में वृद्वि के साथ प्रदेश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्वि होगी।

5.5.6 चयनित कृषक को एस0एम0एस0 एवं विशेष पत्र वाहक के माध्यम से चयन के तीन दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

चयनित कृषक को सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर कृषि यंत्र का क्रय करके अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय मे जमा करना होगा। चयन की तिथि से पूर्व क्रय कर लिये गये यंत्रों पर अनुदान अनुमन्य नही होगा।

5.5.7 फार्म मशीनरी बैक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु चयनित कृषकों को संसूचित होने के 7 दिन के अन्दर ही शासनादेश संख्या–1202/12–3–2014–100(5)/2014 दिनांक 30.05.2014 के अनुसार जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की वैठक करायी जायेगी जिसमें समिति के नामित सदस्यों के साथ–साथ सम्बन्धित बैंको के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे (शासनादेश संख्या–1202/12–3–2014–100(5)/2014 दिनांक 30.05.2014 में इस स्तर तक संशोधित समझा जायेगा) जिसके द्वारा फार्म मशीनरी बैक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु उक्त वैठक के आहूत होने से 10 दिन के अन्दर आवश्यकतानुसार बैकों से ऋण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।

- फार्म मशीनरी बैक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु लाभार्थियों के चयन से ऋण स्वीकृत कार्यो का अनुश्रवण जिलाधिकारी स्तर पर नियमित रूप से किया जायेगा तथा जिस स्तर पर शिथिलिता होगी उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- फार्म मशीनरी बैक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु बैंक से ऋण स्वीकृति के 7 दिन के अन्दर कृषक/लाभार्थी यन्त्र क्रय करके अपने बिल बाउचर अपलोड करेगा अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा।
- **जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, मोबाइल एस0एम0एस0, गोष्ठी आदि के** माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कराकर पंजीकृत लाभार्थियों को अवगत कराया जाय कि जिन कृषकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से दिनांक 31.03.2017 तक कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु पंजीकरण कराया है तथा वे कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर लेने के इच्छुक हैं तो www.upagriculture.com पर दिये गये लिंक पर समाचार पत्र में प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर (जिसमें प्रारम्भ होने एवं अन्तिम दिनांक अंकित हो, जो कि पूरे प्रदेश में

एक ही निश्चित होगा) सहमति प्रदान करें तथा उक्त दिनांक के बाद पोर्टल पर सहमति की व्यवस्था बन्द कर दी जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2014–15 से दिनांक 31.03.2017 तक के पंजीकृत कृषकों को उपरोक्तानुसार 7 दिन के अन्दर यन्त्र विशेष क्रय करने की सहमति दर्ज करने के लिए अनुमन्य करायी गई अवधि में सामान्य ऑनलाइन चयन प्रक्रिया 7 दिन के लिए रोकने के साथ पारदर्शी किसान सेवा योजना के पोर्टल **www.upagriculture.com** पर ऑनलाइन सहमति हेतु लिंक खोला जायेगा जिसमें पंजीकृत कृषक चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकरण के अनुसार जिस कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर को लेना चाहते है उस पर अपनी ऑनलाइन सहमति प्रदान करेंगे। सहमति प्रदान करने के उपरान्त यदि कृषक का चयन किया जाता है और कृषक द्वारा निर्धारित अवधि में कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर का क्रय नही किया जाता है तो उन्हे उस पंजीकृत कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर के अनुदान प्राप्ति की प्रतीक्षा सूची से बाहर कर दिया जायेगा।
- पंजीकृत कृषकों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रय करने की सहमति देने के उपरान्त ऑनलाइन तैयार पूर्व सूची में से उन किसानों का नाम हट जायेगा जिन्होने कृषि यन्त्र/फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रय करने की सहमति नही दी है, लेकिन उक्त कृषक आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि यन्त्र अनुदान हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- कृषि यन्त्र वितरण हेतु उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार "पहले पंजीकरण कराओ और कृषि यन्त्र क्रय की सहमति देते हुये पहले लाभ पाओ" की व्यवस्था लागू होगी।
- शासनादेश संख्या–543/12–3–2017–100(61)/12टी0सी0 दिनांक 26.05.2017 के प्रस्तर संख्या–3.3 एवं 3.4 लागू नही होगा।

5.5.8 अभिलेख अपलोड होने <u>के पश्चात 4 कार्य दिवस के अन्दर</u> संबंधित क्षेत्र के प्राविधिक सहायक/राजपत्रित अधिकारी स्वयं किसान के पास जाकर उसके द्वारा क्रय किये गये यंत्रों का भौतिक सत्यापन करेंगे, यंत्रों का फोटो लेकर अपलोड करेंगे एवं किसान द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों की मूल प्रति प्राप्त कर सत्यापित करेंगे और उसे निर्धारित प्रपत्र संलग्नक–3 के साथ अभिलेखों का परीक्षण व सत्यापन करते हुए मूल अभिलेखों के साथ उप कृषि निदेशक को भुगतान हेतु प्राप्त करायेंगे। उल्लेखनीय है कि ऐसे कृषि यंत्र जिन पर <u>रूपये पचीस हजार से अधिक का अनुदान देय है, ऐसे यंत्रों का सत्यापन प्राविधिक सहायक के स्थान पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं किया जायेगा।</u>

5.5.11 सत्यापन के उपरान्त 7 दिन के अन्दर डी0बी0टी0 सुनिश्चित की जाय।

3– शासनादेश संख्या–543/12–3–2017–100(61)/12टी.सी., दिनांक 26.05.2017 में अन्य प्रस्तर/बिन्दु यथावत् रहेंगे।

4– कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रस्तरों में उल्लिखित संशोधित प्रक्रिया एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

सं0–1074 (1)/12–3–17–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।
5– प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8– प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10– प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
12– सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14– निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
15– ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
16– महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
17– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
18– महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।
19– प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।
20– प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
21– प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
22– प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।
23– निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
24– निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
25– वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
26– सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई–मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।
27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28– समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
29– समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
30– समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31– समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।
32– समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
33– समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
34– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।